न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 32/2021

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष मनान खान .... बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष रामदास पाण्डेय .... बगैरह।

11/1/22

वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 13/2021 दिनांक 27/10/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) मनान खान उम्र 59 वर्ष (2) अहमद खान हबीब खान तीनो ग्राम पतुरा बनाम **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) रामदास पाण्डेय उम्र 58 वर्ष (2) रामनिवास पाण्डेय दोनो पिता स्व0 वृन्दावन पाण्डेय (3) रवि पाण्डेय पिता रामनिवास पाण्डेय तीनो ग्राम लोंगा (4) रामनिवास साहु पिता फिरू साहु सा0 पतुरा थाना बसिया जिला गुमला के मौजा पतुरा के खाता सं0 01/2 प्लॉट सं0 322 रकबा 1.24 एकड़ भूमि चौहदी उत्तर में मंगरा साहु का धान खेत, दक्षिण में लुधु साहु का जमीन, पूरब में लुधु साहु एवं जीतवाहन साहु का जमीन, पश्चिम में मंगरा साहु का धान खेत से संबंधी भूमि ाके लेकर अपना व दखल करने को लेकर आपसी विवाद एवं तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्षों द्वारा अशांति भंग होने की सम्भावना है। थाना प्रभारी बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि खाता सं0 01 प्लॉट सं0 322 रकबा 1.24 एकड़ भूमि की जमीन हमलोग तीन भाई है मनान खान पिता स्व0 इसरायल खान, अमजद खान, पिता स्व0 इसरायल खान एवं सतार खान पिता स्व0 हबीब खान साकिन पतुरा 40 वर्ष से कमाते आ रहे है। वर्ष 2001 में रामदस पाण्डेय पिता स्व0 वृन्दावन पाण्डेय ग्राम लोंगा ने जब्बरजस्ती करके जमीन दुसरे के हाथ में बेच दिया है। हमलोगो के पिताजी लोग इसको दखल कब्जा कर खेती बारी करते आ रहे थे।

रामदरस पाण्डेय जो आदमी के पास जमीन बेचा है वो विनय साहु जो दबंग आदमी है। हमलोग डर से खेत में नहीं जा रहे है क्योकि वह हमलोगो को मार भी सकता है। उरोक्त खाता प्लॉट वो रकबा में धान का खेती किया हुआ है। उक्त खाता प्लॉट वो रकबा की जमीन द्वितीय पक्ष को जाने से रोका जाय।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध धारा 144 लगा कर लगे फसल को जप्त किया जाय ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे।

द्वितीय पक्ष की ओर से न्यायालय में अनुउपस्थित रहे है किसी प्रकार कारण कारण पृच्छा, जवाब दाखिल एवं उक्त वादगत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कागजात न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

थाना प्रभारी बसिया के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा पतुरा के खाता सं0 01/2 प्लॉट सं0 322 रकबा 1.24 एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त वाद्गत भूमि में उभय पक्ष के द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को उक्त भूमि के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः थाना प्रभारी के जॉच प्रतिवेदन एवं प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल उक्त वाद्गत भूमि मौजा पतुरा के खाता सं0 01/2 प्लॉट सं0 322 रकबा 1.24 एकड़ भूमि स्वत्व से संबंधित मामला प्रतीत होता है। वाद की कारवाई की समयअवधि में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना की सूचना थाना बसिया एवं अन्य स्रोत से अप्राप्त है। अतः धारा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता ळें

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.12.06 12:25:54 +05:30
Location: 192.168.1.3